(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 62 / 2018

बउनवान

रामरतन पुत्र बेजनाथ जाति किराड निवासी बटावदापार तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 14.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 380 / 2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 18.9.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बटावदापार की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 894 रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल उढद की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 150 / – रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 16.3.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से काबिल खारजा है। अपीलांट को सुनवाई एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अभिलेख से यह भली प्रकार से प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त उनवान की कार्यवाही पर सही ढंग से गौर नही किया गया है, मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के भौतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का भी सही अवलोकन नही किया गया है। अपीलांट को तामील प्रोपर नही करवाई गई है ओर भौतिक रूप से अपीलांट को बेदखल नही किया गया है मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार

मानकर अपीलांट को दोषी करार देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दोषी मानकर कानूनी त्रुटि कायम की गयी है। अपीलांट किसी प्रकार से दोषी नही है ओर ना ही उसने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बतायी गयी भूमि पर कभी कोई कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पुलिस गिरफ्तार करने जाने व दिनांक 23.2.2018 को नकल लिये जाने पर हुई है। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल उढद की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील अपीलांट के पुत्र रिंकू को करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष सम्वत् 2073 में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण नही करने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। जिसकी तामील अपीलांट के पुत्र रिंकू को करवाई गयी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट के अभिभाषक के अभिवचनो के विरूद्व पत्रावली मे समस्त दस्तावेज संलग्न पाऐ गए। अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया गया जिससे अपील की पुष्टि होती हो। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 380/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.9.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 16:01:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: